रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 1985/माघ 22, 1906
No. 57] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 1985/MAGHA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a seperate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1985

सा. का. नि. 80(अ):—फरवरी, 1985 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

हरियाणा का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1985.

राष्ट्रपति, पंजाब (पुनर्गठन अधिनियम, 1966) (1966 का 31) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधि-

कार) आदेश, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हरियाणा का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1985 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. हरियाणा का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1967 के पैरा 8 को उसके उप-पैरा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) पैरा 7 में निर्दिष्ट भत्ते और विशेषाधिकार के अतिरिक्त चंडीगढ़ में राजभवन को पुनः सुसज्जित करने के लिए 1984-85 वर्ष के दौरान 3,37,050/- रु. की रकम हरियाणा राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उसमें से हरियाणा के राज्यपाल को दी जाएगी ।"

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 3/3/84-एम. एण्ड जी.]
के. एस. रस्तोगी, संयुक्त सचिव

हरियाणा का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1967 को पहले सा. का. नि. 182(ई) दिनांक 25-1-1968 के द्वारा संशोधित किया गया था (गृ.मं. फा. सं. 15/96/67-पब्लिक-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1985

G.S.R. 80(E).—The following Order made by the President on 4th February, 1985 is published for general information :—

The Governor of Haryana (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1985.

In pursuance of the powers conferred by Section 45 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the President hereby makes the following order further to amend the Governor or Haryana (Allowances and Privileges) Order, 1967 namely :—

(1) This Order may be called the Governor of Haryana (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Governor of Haryana (Allowances and Privileges) Order, 1967, paragraph 8 shall be renumbered as sub-paragraph (1) thereof and after sub-paragraph (1) as so renumbered, the following sub-paragraph shall be inserted namely :—

"(2) in addition to the allowances and Privileges referred to in paragraph 7, there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State to the Governor of Haryana an amount of Rs. 3,37,050 during the year 1984-85 for refurnishing the Government House at Chandigarh".

ZAIL SINGH,
President

[F. No. 3|3|84-M&G]
K. S. RASTOGI, Jt. Secy.

The Governor of Haryana (Allowances & Privileges) Order 1967 was earlier amended vide G.S.R. 182(E) dated 25th January, 1968. (MHA F. No. 19|96|67-Pub. I.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985